Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 10, Issue 1&2 - 2025, Pg. No. 1-8
Peer Reviewed Journal

Research Article

तीन तलाक कानून का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव: राजस्थान के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक समीक्षा

Raisa Bano[1], Snehlata[2]

[1]Research Scholar, [2]Research Supervisor, Department of Political Science, Lords University, Alwar, Rajasthan, India

DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

I N F O

Corresponding Author:
Raisa Bano, Department of Political Science, Lords University, Alwar, Rajasthan, India
E-mail Id:
raisajms2911@gmail.com
Orcid Id:
https://orcid.org/0009-0001-6965-6409

Date of Submission: 2025-05-12
Date of Acceptance: 2025-06-17

सारांश

तीन तलाक (तलाक–ए–बिदअत) कानून भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में उभरा है। यह कानून न केवल एक धार्मिक कुरीति पर अंकुश लगाने का प्रयास है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्वांतों को भी सुदृढ़ करता है। प्रस्तुत समीक्षा–पत्र राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में इस कानून के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करता है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्वतियों का प्रयोग किया गया है। शोध हेतु प्राथमिक आंकड़े एक सुव्यवस्थित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गई,। कुल 35 उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई, जिनमें 15 पुरुष एवं 20 महिलाए थीं। इन उत्तरदाताओं में 31 मुस्लिम, 3 हिन्दू तथा 1 अन्य धर्म से संबंधित उत्तरदाता शामिल था। सभी उत्तरदाता राजस्थान के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चयनित किए गए थे। प्रश्नावली में सामाजिक, धार्मिक और विधिक पहलुओं से जुड़े प्रश्न शामिल थे, ताकि तीन तलाक पर लोगों की वास्तविक सोच, अनुभव और व्यवहार को समझा जा सके।

प्रमुख शब्द: तीन तलाक कानून, मुस्लिम महिला अधिकार, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक विश्लेषण, महिला सशक्तिकरण, राजस्थान।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्था रहा है। मुस्लिम समाज में विवाह और तलाक से संबंधित विधियों में 'तीन तलाक' या 'तलाक–ए–बिदअत' की परंपरा लंबे समय से विवाद का विषय रही है। एक समय में मौखिक रूप से तीन बार 'तलाक' कहकर विवाह संबंध समाप्त करने की यह प्रथा, न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाती थी, बल्कि इससे मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी गंभीर रूप से प्रभावित होती थी।[1]

भारत में तीन तलाक का मुद्दा एक संवेदनशील कानूनी, धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्व हुआ। इसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा 2019 में मुस्लिम

Copyright (c) 2025: Author(s). Published by Advanced Research Publications

महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया, जिसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

यह कानून एक ओर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों द्वारा इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना गया। इस विरोधाभास के बीच यह आवश्यक हो गया कि इस कानून के प्रभावों का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समग्र मूल्यांकन किया जाए, विशेषतः भारत के विविध राज्यों में इसके कार्यान्वयन को समझा जाए।

राजस्थान, जहाँ मुस्लिम आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 9ः है, ,क विविध सामाजिक संरचना वाला राज्य है। यहाँ शहरी और ग्रामीण मुस्लिम समाज की स्थिति भिन्न है और उनकी सामाजिक–राजनीतिक सक्रियता में भी विविधता है। इस शोध पत्र में राजस्थान को विशेष संदर्भ में लेते हुए, इस कानून के सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया ग्या है। इसके लिए 35 प्रतिभागियों पर आधारित प्रश्नावली का विश्लेषण भी किया गया है, जिससे वास्तविक धरातल पर कानून की प्रासंगिकता का मूल्यांकन संभव हो सके।

शोध समस्या का विवरण

भारत में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 2019 में पारित किया गया, जिसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। इस कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को मनमाने और एकतरफा तलाक (तलाक–ए–बिद. अत) से मुक्त कराना और उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान करना था। हालांकि यह कानून देश भर में लागू हुआ, परंतु इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र विशेष में भिन्न रहे हैं।

राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ यह कानून विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत सामाजिक ढांचे, शिक्षा की कमी, धार्मिक प्रभाव और पितृसत्तात्मक सोच के चलते इस कानून की स्वीकार्यता सीमित रही है। वहीं शहरी और अपेक्षाकृत शिक्षित मुस्लिम वर्ग में इस कानून को महिला सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में भी देखा ग्या है।

इस स्थिति में यह जानना आवश्यक है किः–

1. क्या यह कानून मुस्लिम महिलाओं के जीवन में कोई वास्तविक बदलाव ला सका है?
2. क्या मुस्लिम समाज, विशेषकर राजस्थान में, इस कानून को सामाजिक रूप से स्वीकार कर रहा है?
3. क्या इस कानून का राजनीतिक रूप से उपयोग हो रहा है या यह सचमुच महिला अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी है?
4. क्या धार्मिक और सामाजिक मान्यताएँ, इस कानून की व्यावहारिकता में बाधक बन रही हैं?

इस शोध का उद्देश्य इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तीन तलाक कानून एक सैद्धांतिक उपलब्धि है या व्यवहारिक सामाजिक परिवर्तन का कारक।[2]

शोध की आवश्यकता

किसी भी सामाजिक, धार्मिक या विधिक विषय पर अध्ययन करते समय यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उस विषय पर शोध क्यों किया जा रहा है। भारत में तीन तलाक (तलाक–ए–बिद. अत) की परंपरा केवल एक धार्मिक रिवाज भर नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और संविधान प्रदत्त न्याय की अवधारणाओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। वर्तमान समय में जब तीन तलाक को विधिक रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है, तब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों में।

तीन तलाक को लेकर भले ही कानून बना दिया ग्या हो, लेकिन क्या यह कानून सामाजिक स्तर पर प्रभावी हो पाया है? क्या मुस्लिम महिलाएँ इस कानून के प्रति जागरूक हैं? क्या उन्हें इसका व्यावहारिक लाभ मिल रहा है? इन जैसे प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु एक गहन शोध की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि धार्मिक स्वतंत्रता और स्त्री अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता को समझा जाए।

इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समाज में आंतरिक सुधार की गति, धार्मिक नेतृत्व की भूमिका, महिला संगठनों की भागीदारी, और विधिक चेतना का विकास जैसे पहलू भी इस शोध के केंद्र में हैं। राजस्थान जैसे राज्य में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, आर्थिक निर्भरता और पारिवारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन और भी प्रासंगिक हो जाता है।

इस प्रकार, तीन तलाक के प्रभाव का सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में, न केवल विधिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक ठोस कदम सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि इस विषय पर विस्तृत और समसामयिक शोध की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

साहित्य समीक्षा

तीन तलाक (तलाक–ए–बिदअत) की समस्या भारत में लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के हनन और लिंग असमानता का प्रतीक रही है। इस विषय पर अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों, विधि विशेषज्ञों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने शोध और लेखन किया है, जो इस शोध को एक वैचारिक और ,ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।

1985 में शाह बानो प्रकरण ने पूरे भारत में तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बहस को मुखर कर दिया। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो नामक वृद्धा मुस्लिम महिला को भरण–पोषण का अधिकार दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक कानूनों की आड़ में महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। हालांकि इस निर्णय के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तत्कालीन सरकार की प्रतिक्रियाँ, इस मुद्दे को सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता के द्वद्वं में बदल देती हैं। 2006 में राजिंदर सच्चर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को उजागर किया गया, जिससे यह बात सामने आई कि तीन तलाक जैसी परंपरा, केवल धार्मिक नीतियों की उपज नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक पिछड़ेपन का भी परिणाम हैं। 2010 में समीरीन हुसैन द्वारा प्रस्तुत शोध तीन तलाक: एक सामाजिक–वैधानिक विश्लेषण में यह दर्शाया गया कि कैसे धार्मिक कानूनों की व्याख्या सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करती है। यह अध्ययन इस्लामी विधि और आधुनिक सामाजिक न्याय की टकराहट को गंभीरता से विश्लेषित करता है। 2020 में दो महत्वपूर्ण लेख सामने आए। सम्यक जैन ने अपने लेख में भारतीय विधिक व्यवस्था के भीतर तीन तलाक के प्रभावों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके सामाजिक क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। वहीं, डॉ. रुखसाना बानो द्वारा राजस्थान की मुस्लिम महिलाएं और विधिक चेतनाष्शीर्षक से प्रस्तुत क्षेत्रीय अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक और उससे संबंधित कानूनों के प्रति जागरूकता अत्यंत कम है। पारिवारिक दबाव और सामाजिक नियंत्रण उन्हें अपने विधि क अधिकारों के प्रयोग से रोकते हैं।[3,4]

2021 में ऋषभ राजपूत का अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें तीन तलाक कानून की व्यावहारिकता, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण किया गया। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल दंडात्मक कानून नहीं, बल्कि पुनर्वास और सामाजिक समर्थन तंत्र भी आवश्यक है। 2024 में अगस्टिन हनाफी और उनके सहलेखकों ने इंडोनेशिया के आचेह क्षेत्र में मस्लहत (सामूहिक हित) की दृष्टि से तीन तलाक के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत किया। यह अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इस बात को उजागर करता है कि तीन तलाक केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि समूचे इस्लामी समाज में लैंगिक न्याय का मुद्दा है, जिसे सुधारवादी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहि,। 2025 में दानिश मंगी और उनके सहलेखकों ने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में तीन तलाक पर केंद्रित एक केस अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें यह पाया गया कि वहाँ भी यह प्रथा धार्मिक और सामाजिक विवादों का विषय बनी हुई है, और महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु कानूनी सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है।

इन सभी शोधों, लेखों और अध्ययनों के समानांतर, फ्लैवीया एग्नेस और असगर अली इंजीनियर जैसे प्रबुद्ध विचारकों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और तीन तलाक पर अपने लेखों द्वारा वैचारिक स्पष्टता प्रदान की है। फ्लैवीया एग्नेस ने यह तर्क दिया कि कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक समाज की रूढ़ मानसिकता में बदलाव न आए। वहीं असगर अली इंजीनियर ने कुरआन की मूल शिक्षाओं के आधार पर तीन तलाक को गैर–इस्लामी बताते हुए मुस्लिम समाज में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महिला संगठनों ने इसके प्रभावों का मूल्यांकन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कानून ने एक आवश्यक वैधानिक ढांचा प्रदान किया है, परंतु सामाजिक स्तर पर इसकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। महिला संगठनों का यह भी मानना रहा कि कानूनी सुरक्षा के साथ–साथ पुनर्वास, सामाजिक सहयोग और मानसिक समर्थन भी आवश्यक है।

इन सभी विद्धनों और संस्थाओं की रचनाँ, यह संकेत करती हैं कि तीन तलाक केवल एक धार्मिक या कानूनी मसला नहीं है, बल्कि यह एक गहराई से जुड़ा हुआ सामाजिक, राजनीतिक और लैंगिक मुद्दा है, जिसे एक समग्र दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है।[5]

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

शोध पद्धति:

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धतियों का संयुक्त उपयोग किया गया है, जिससे तीन तलाक कानून से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक परतों की गहन समझ विकसित की जा सके। उत्तरदाताओं की कुल संख्या 35 हैं, जिनमें 15 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। सभी उत्तरदाता राजस्थान के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चयनित किए गए, जिससे शोध को सामाजिक विविधता और प्रतिनिधिकता प्राप्त हो सके। एकत्रित आंकड़ों का गहन विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया ग्या कि समुदाय विशेष इस कानून को किस प्रकार देखता है और सामाजिक–राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। (आकृति संख्या 1)

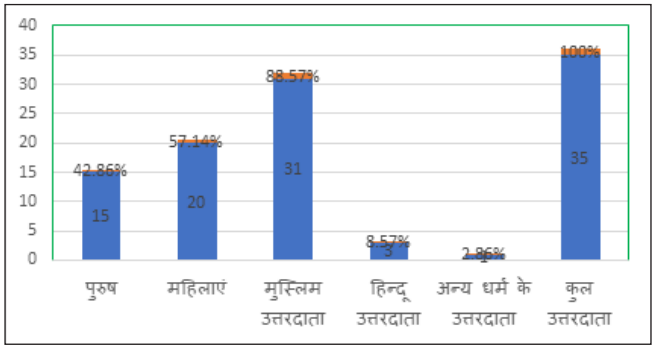

आकृति संख्या 1-प्रश्नावली आधारित विश्लेशण (35 प्रतिभागियों पर आधारित)

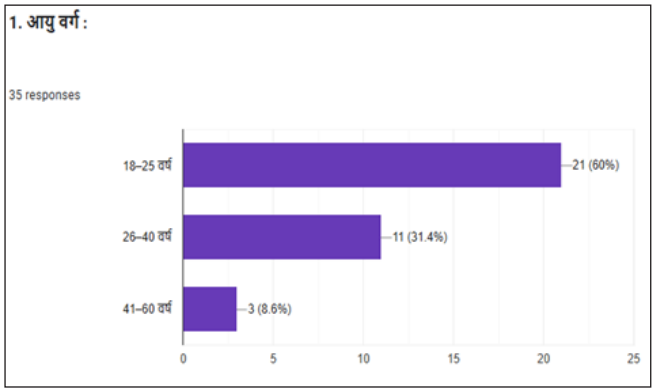

आकृति संख्या 2-प्रतिभागियों का आयु वर्ग

विश्लेषण:

ग्राफ में प्रतिभागियों का आयु वर्ग दर्शाया गया है। कुल 35 उत्त. रदाताओं में से सर्वाधिक संख्या 18-25 वर्ष आयु वर्ग की रही, जो 21 प्रतिभागयों (60%) के साथ सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद 26-40 वर्ष आयु वर्ग के 11 प्रतिभागी (31-4%) थे। जबकि 41-60 वर्ष आयु वर्ग के केवल 3 प्रतिभागी (8-6%) ही इस सर्वेक्षण में शामिल हुए। यह डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस शोध या सर्वेक्षण में युवा वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक रही है। यह संकेत करता है कि यह आयु वर्ग सामाजिक, धार्मिक और कानूनी विषयों पर अपनी राय देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। (आकृति संख्या 2,3)

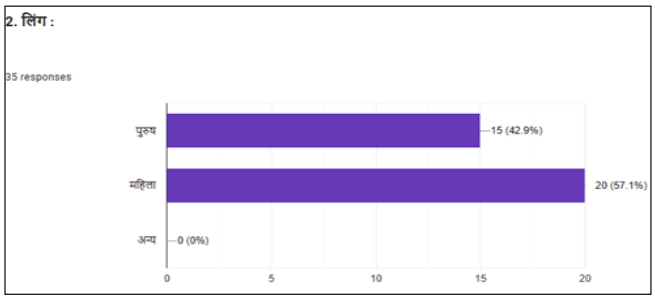

आकृति संख्या 3-लिंग के आधार पर प्रतिभागिता का विश्लेषण

विश्लेषणात्मक व्याख्या:

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि इस अध्ययन में महिला प्रतिभागियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही। चूँकि तीन तलाक का विषय मुख्यतः मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, स्थिति और सामाजिक न्याय से संबंधित है, अतः महिलाओं की अधिक भागीदारी शोध की प्रासंगिकता और वास्तविकता को और भी सशक्त बनाती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो रही हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए आगे आ रही हैं। पुरुषों की भागीदारी भी पर्याप्त रही, जिससे विषय की सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से संतुलित समझ विकसित करने में सहायता मिलती है।[6,7]

महिलाएं: 20 (57%)

पुरुष: 15 (43%)

अन्य: 0 (0%)

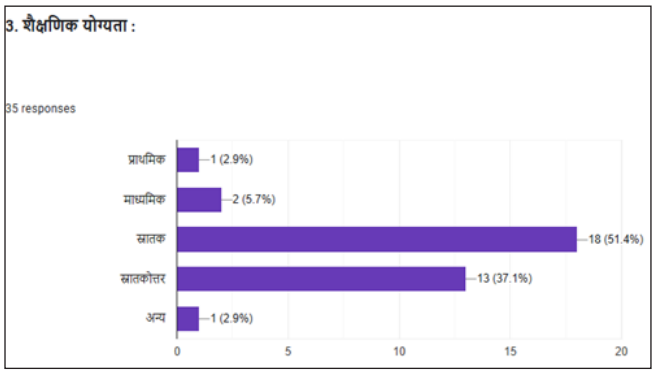

आकृति संख्या 4-उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या स्नातक

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

विश्लेषणात्मक व्याख्या:

ग्राफ से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या स्नातक (51-4%) और स्नातकोत्तर (37-1%) शिक्षित लोगों की है। यह दर्गाता है कि अध्ययन में भाग लेने वाले अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जिससे उनके उत्तर अधिक सोच–विचार और समझ के आधार पर दिए गए प्रतीत होते हैं। उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं की भागीदारी तीन तलाक जैसे संवेदनशील और विधिक विषय पर गहन सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। वहीं, सीमित संख्या में कम शिक्षित या अन्य श्रेणी के उत्तरदाता भी शामिल हैं, जिससे विविध सामाजिक दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह विविधता शोध को संतुलित और यथार्थपरक बनाती है। (आकृति संख्या 4)[8,9]

स्नातक-18 उत्तरदाता (51-4%) स्नातकोत्तर-13 उत्तरदाता (37-1%) इंटरमीडिएट-2 उत्तरदाता (5-7%) प्रारंभिक शिक्षा-1 उत्तरदाता (2-9%) अन्य-1 उत्तरदाता (2-9%)

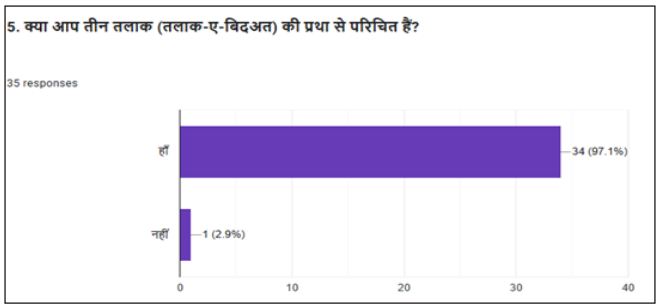

आकृति संख्या 5-तीन तलाक का विषय समाज

विश्लेषणात्मक विवरण

सर्वेक्षण के इस प्रश्न का उद्देश्य यह जानना था कि क्या प्रतिभागी तीन तलाक की प्रथा से परिचित हैं या नहीं। कुल 35 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार 34 लोगों (97-1%) ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस प्रथा से परिचित हैं, जबकि केवल 1 व्यक्ति (2-9%) ने अनभिज्ञता व्यक्त की।[10,11]

यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि तीन तलाक का विषय समाज में अत्यधिक चर्चित और संवेदनशील रहा है। इसकी प्रमुखता का एक कारण यह भी है कि हाल ही के वर्षों में यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और राजनीतिक बहस का केन्द्र रहा है। मीडिया, सामाजिक आंदोलनों, धार्मिक नेताओं के वक्तव्यों तथा न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों ने इसे आमजन तक पहुंचाया है। (आकृति संख्या 5)

यह उच्च जागरूकता संकेत करती है कि–

1. विषय का सामाजिक प्रभाव व्यापक है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में।
2. कानूनी और संवैधानिक विमर्श ने इसे एक जनचर्चा में परिवर्तित कर दिया है।
3. शिक्षित युवा वर्ग एवं मध्य आयु वर्ग, जो सर्वेक्षण का बड़ा हिस्सा हैं, इस विषय पर सजग हैं और संभवतः इसके सामाजिक–नैतिक पहलुओं पर राय भी रखते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इतनी व्यापक जानकारी के बावजूद, कम से कम एक उत्तरदाता ,ऐसा था जो इस विषय से अनभिज्ञ था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी भी समाज के कुछ वर्गों तक संवैधानिक जागरूकता और सूचनाओं की पूर्ण पहुँच नहीं हो सकी है।

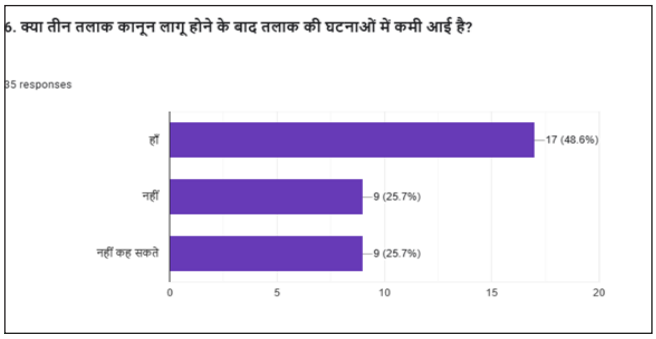

आकृति संख्या 6-तीन तलाक कानून लागू होने के बाद तलाक की घटनाओं में कमी

विश्लेषण:

यह सर्वेक्षण प्रश्न इस बात की पड़ताल करता है कि क्या तीन तलाक कानून लागू होने के बाद तलाक की घटनाओं में कमी आई है। कुल 35 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया ग्या है:

1. हाँ - 17 प्रतिभागियों (48-6%) ने माना कि तीन तलाक कानून लागू होने के बाद इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई है।
2. नहीं - 9 प्रतिभागियों (25-7%) ने माना कि ,ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है।
3. नहीं - कह सकते दृ 9 प्रतिभागियों (25-7%) ने स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की।

इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि समाज का लगभग आधा हिस्सा (48-6%) यह अनुभव कर रहा है कि तीन तलाक कानून का प्रभाव

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

सकारात्मक रहा है और इसने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाया है। यह वर्ग संभवतः उन परिवर्तनों को देख रहा है जो कानूनी डर, सामाजिक दबाव या जन-जागरूकता के रूप में प्रकट हुए हैं। (आकृति संख्या 6)

हालाँकि, लगभग 26% प्रतिभागी यह मानते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर न दिखे। इसके कई कारण हो सकते हैं - जैसे न्याय प्रणाली की धीमी प्रक्रिया, पीड़ित महिलाओं की असहायता, या सामाजिक संरचनाओं की जटिलता।

वहीं, 25-7% प्रतिभागी 'नहीं कह सकते' की स्थिति में हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ग के पास प्रत्यक्ष अनुभव या पर्याप्त जानकारी नहीं है जिससे वे ठोस निष्कर्ष निकाल सकें। यह सामाजिक विमर्श में सूचना की समान पहुँच की कमी की ओर भी संकेत करता है।[12]

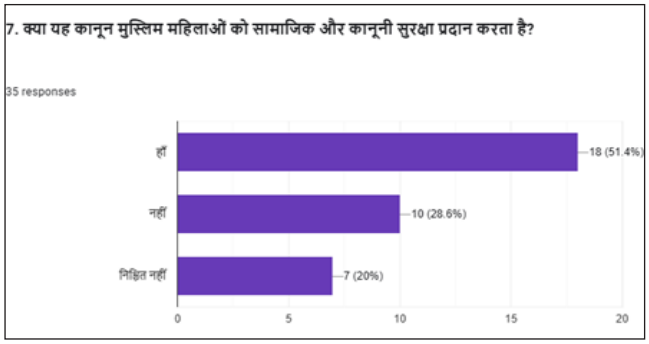

आकृति संख्या 7-तीन तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान

विश्लेषण:

ग्राफ से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 35 प्रतिभागियों में से 51-4% (18 उत्तरदाता) यह मानते हैं कि तीन तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को कानून के सकारात्मक प्रभावों पर वि'वास है और वे इसे एक रक्षक उपाय के रूप में देखते हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को अन्याय और अस्थिर वैवाहिक संबंधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 28-6% (10 उत्तरदाता) इस मत से असहमत हैं, जो यह दर्शाता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा या तो इस कानून की व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर आ'ांकित है । 20% (7 उत्तरदाता) ने निश्चित नहीं उत्तर दिया, जो यह दर्शाता है कि इस वर्ग को या तो विषय की पूर्ण जानकारी नहीं है अथवा वे इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चित हैं। यह स्थिति समाज में कानून की जागरूकता और उसके प्रभाव की पारदर्शिता को लेकर एक चिंताजनक संकेत है। (आकृति संख्या 7)

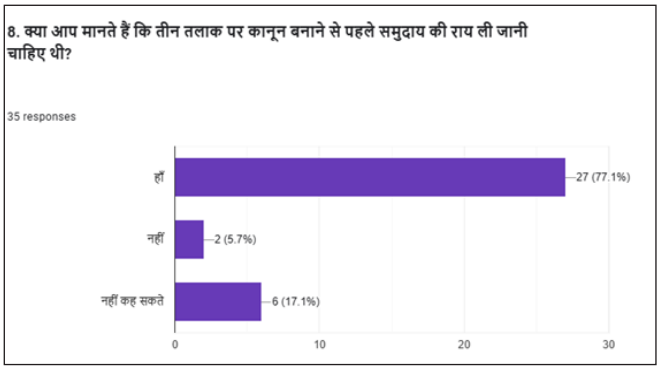

आकृति संख्या 8-तीन तलाक पर कानून बना, जाने से पहले समुदाय की राय

विश्लेषण:

यह ग्राफ दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि तीन तलाक पर कानून बना, जाने से पहले समुदाय की राय ली जानी चाहिए थी। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 35 लोगों में से 77-1% (27 उत्तरदाता) ने इस विचार से सहमति जताई है, जो यह इंगित करता है कि बहुसंख्यक लोग कानून निर्माण में समुदाय की सहभा. गिता को आव'यक मानते हैं। इसके विपरीत, 5-7% (2 उत्तरदाता) ने माना कि समुदाय की राय लेना आवश्यक नहीं था, जबकि 17-1% (6 उत्तरदाता) ने 'नहीं कह सकते' का विकल्प चुना, जो विषय पर अनिश्चितता या जानकारी की कमी को दर्शाता है। (आकृति संख्या 8)

यह आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में यदि जन संवाद और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती, तो यह निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और स्वीकार्य होता। इस प्रकार, ग्राफ यह स्पष्ट करता है कि तीन तलाक कानून के संदर्भ में सामाजिक विमर्श और पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की गई।

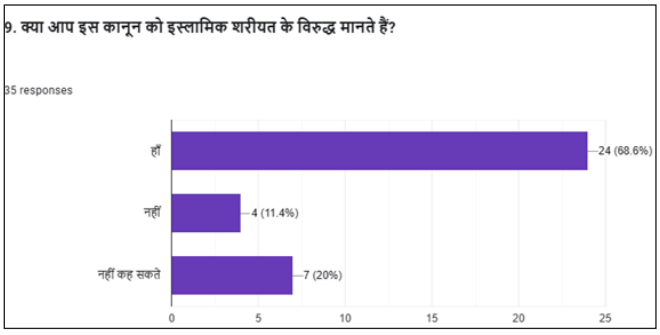

आकृति संख्या 9-कानून को इस्लामिक शरीयत के विरुद्ध

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

विश्लेषण:

प्रस्तुत ग्राफ यह दर्शाता है कि "क्या आप इस कानून को इस्लामिक शरीयत के विरुद्ध मानते हैं?" इस प्रश्न पर उत्तरदाताओं की राय में एक स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। कुल 35 प्रतिभागियों में से 24 प्रतिभागियों (68-6%) ने माना कि तीन तलाक पर लागू किया गया कानून इस्लामिक शरीयत के विरुद्ध है। यह संख्या दर्शाती है कि समुदाय के एक बड़े हिस्से को इस कानून की धार्मिक वैधता पर आपत्ति है। वहीं दूसरी ओर, केवल 4 प्रतिभागियों (11-4%) ने यह स्पष्ट किया कि यह कानून शरीयत के विरुद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 7 प्रतिभागी (20%) इस प्रश्न के उत्तर में अनिश्चित दिखाई दिए और उन्होंने नहीं कह सकते का विकल्प चुना। इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि तीन तलाक कानून को लेकर धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं में एक प्रकार का विरोधाभास विद्यमान है। बहुसंख्यक प्रतिभागियों का मानना है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों और पारंपरिक इस्लामी विधानों के प्रतिकूल है। (आकृति संख्या 9)

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी धार्मिक–न्यायिक विषय से जुड़े कानून को लागू करने से पहले समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं, सामाजिक संरचना और विचारधारात्मक पहलुओं का गहन अध्ययन और संवाद आवश्यक होता है, जिससे कानून सामाजिक स्वीकृति और धार्मिक सद्भावना के साथ आगे बढ़ सके।

प्रश्नावली उत्तरदाताओं का सांख्यिकीय विवरण:

तालिका 1-प्रश्नावली उत्तरदाताओं का सांख्यिकीय विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कुल उत्तरदाता	35	100
2	पुरुष	15	42–86
3	महिलाएं	20	57–14
4	मुस्लिम उत्तरदाता	31	88–57
5	हिन्दू उत्तरदाता	3	8–57
6	अन्य धर्म के उत्तरदाता	1	2–86
7	चयन क्षेत्र	राजस्थान के मुस्लिम बहुल क्षेत्र	

विश्लेषण:

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट है कि कुल 35 उत्तरदाताओं में 20 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल थे, जिससे महिला दृष्टिकोण को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। धर्म के आधार पर 31 मुस्लिम, 3 हिन्दू और 1 अन्य धर्म के उत्तरदाता थे, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश प्रतिभागी सीधे तौर पर तीन तलाक के मुद्दे से जुड़े समुदाय से हैं। राजस्थान के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चयनित इन उत्तरदाताओं की विविधता अध्ययन को सामाजिक, धार्मिक और लैंगिक दृष्टिकोण से व्यापकता प्रदान करती है। यह आंकड़े शोध को प्रामाणिकता और संतुलित दृष्टिकोण देने में सहायक हैं।

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष:"भारत में तीन तलाक कानून के प्रभाव का राजनीतिक–सामा. जिक वि'लेश.ाः राजस्थान के विशेष संदर्भ में" विषयक इस समीक्षा–पत्र से यह स्पष्ट होता है कि तीन तलाक (तलाक–ए–बिदअत) पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून न केवल एक विधायी पहल है, बल्कि यह भारतीय समाज में लैंगिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण के मध्य एक नई सामाजिक चेतना की शुरुआत भी करता है। विशेषतः राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ मुस्लिम समुदाय की स्थिति सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से विविध है, वहां इस कानून का प्रभाव क्षेत्र विशेष के आधार पर भिन्न रहा है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं ने इस कानून को अपने अधिकारों की रक्षा के रूप में अपनाया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह कानून अभी तक सामाजिक व्यवहार में पूरी तरह नहीं उतर पाया है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कानून एक अहम मुद्दा बना रहा है। एक ओर जहां इसे महिला अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर इसे धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में भी देखा गया। यह विरोधाभास बताता है कि इस कानून का प्रभाव केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति विमर्श को भी प्रभावित करता है।

प्रश्नावली आधारित विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि सामान्य जनमानस में तीन तलाक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ी है, परंतु इसकी व्यावहारिक उपयोगिता अभी सीमित है। केवल कुछ ही महिलाएं इसे कानूनी रूप से प्रयोग कर पाई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि विधि और व्यवहार के बीच एक स्पष्ट अंतर बना हुआ है।

सुझावः जागरूकता अभियानः ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों और तीन तलाक कानून की जानकारी देने हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चला, जाने चाहिए।

कानूनी सहायता केंद्रः सभी जिलों में महिला सहायता केंद्रों के अंतर्गत विशेष सेल बना, जाएँ जो मुस्लिम महिलाओं को निःशुल्क कानूनी परामर्श एवं सहायता प्रदान करें।

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501

धार्मिक नेतृत्व से संवादः धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रभावशाली लोगों से संवाद कर इस कानून को 'धर्म विरोधी' की बजाय 'महिला हितैशी' के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए।

राजनीतिक निष्पक्षताः इस कानून के प्रचार–प्रसार में राजनीतिक लाभ की अपेक्षा सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इसका उद्देश्यमूलक प्रभाव बना रहे।

शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरणः कानून की सफलता का आधार महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता है। अतः मुस्लिम बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास, और स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

प्रतिक्रिया प्रणालीः राज्य स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कितनी महिलाओं ने इस कानून का लाभ लिया और किस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आईं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. अगस्टिन, हनाफी, एवं अन्य. तीन तलाक और मस्लहत का विमर्श: आचेह, इंडोनेशिया में इस्लामी कानून की पुनर्व्याख्या. इंडोनेशियन इस्लामिक लॉ जर्नल, 2024.
2. एग्नेस, फ्लैवीया. लॉ एंड जेंडर इन इंडिया: मुस्लिम विमेन एंड पर्सनल लॉ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 201.
3. इंजीनियर, असगर अली. इस्लाम, वीमेन एंड रिफॉम. स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 2008.
4. डॉ. बानो, रुखसाना. राजस्थान की मुस्लिम महिलाएं और विधिाक चेतना– जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी, 2020.
5. जैन, सम्यक. "भारतीय विधिक व्यवस्था में तीन तलाक की प्रभावशीलता: एक आलोचनात्मक विश्लेषण." भारतीय विधि समीक्षा, खंड 6, अंक 2, 2020, पृ. 112–129.
6. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया– मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019–
7. राजपूत, ऋषभ. "तीन तलाक कानून की व्यावहारिक समस्या, और संभावनाएँ. "भारतीय विधिशास्त्र जर्नल, खंड 7, अंक 1, 2021, पृ. 88–105.
8. समीरीन, हुसैन. तीन तलाक: एक सामाजिक–वैधानिक विश्लेषण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शोध प्रबंध, 2010.
9. सच्चर, राजिंदर, अध्यक्ष. मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर आधारित सच्चर समिति रिपोट. भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 2006.
10. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम ।। 1985,
11. मंगी, दानिश, एवं अन्य. सिंध में तीन तलाक की सामाजिक स्वीकार्यता: पाकिस्तान का एक क्षेत्रीय अध्ययन. कराची यूनिव. र्सिटी लॉ जर्नल, 2025.
12. महिला अधिकार मंच. तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अनुभव: एक सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट. नई दिल्ली, 2020.

ISSN: 2456-0510
DOI:https://doi.org/10.24321/2456.0510.202501